



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3381]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941

No. 3381]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

आय-कर

का.आ. 3719(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194इ के परंतुक के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात यह विनिर्दिष्ट करती है कि,-

(क) प्राधिकृत डीलर तथा इसके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता और उप-अभिकर्ता; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त पूर्ण रूप से धन परिवर्तक (फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स) (एफएफएमसी) तथा उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता;

जो एक पृथक बैंक खाता अनुरक्षित करते हैं, जिससे केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही धन निकासी की जाती है,-

(i) विदेशी पर्यटकों या भारत आने वाले अनिवासियों या निवासी भारतीयों से उनके भारत वापसी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नकद में विदेशी मुद्रा की खरीद; या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के धन अन्तरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अधीन भारत में प्राप्तिकर्ता फायदाग्रहियों को नकद में आवक प्रेषणों का वितरण;

और ऐसे प्राधिकृत डीलर्स तथा उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता तथा उप-अभिकर्ता और पूर्ण रूप से धन परिवर्तक (एफएफएमसी) और उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता द्वारा बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि धन की निकासी केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत डीलर" से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत डीलर के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति है।

2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 80/2019/फा. सं. 370142/12/2019-टीपीएल (भाग-2)]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2019

INCOME-TAX

S.O. 3719(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of proviso to section 194N of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India (RBI), hereby specifies,-

- (a) the authorised dealer and its franchise agent and sub-agent; and
- (b) Full-Fledged Money Changer (FFMC) licensed by the Reserve Bank of India and its franchise agent;

maintaining a separate bank account from which withdrawal is made only for the purposes of,-

- (i) purchase of foreign currency from foreign tourists or non-residents visiting India or from resident Indians on their return to India, in cash as per the directions or guidelines issued by Reserve Bank of India; or
- (ii) disbursement of inward remittances to the recipient beneficiaries in India in cash under Money Transfer Service Scheme (MTSS) of the Reserve Bank of India;

and a certificate is furnished by the authorised dealers and their franchise agent and sub-agent, and the Full-Fledged Money Changers (FFMC) and their franchise agent to the bank that withdrawal is only for the purposes specified above and the directions or guidelines issued by the Reserve Bank of India have been adhered to.

Explanation - For the purposes of this notification, “authorised dealer” means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of September, 2019.

[Notification No. 80/2019/F. No. 370142/12/2019-TPL (Part 2)]

SAURABH GUPTA, Under Secy. (Tax Policy & Legislation Division)

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.